राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
E-mail : drestablishment2@gmail.com

क्रमांक : संस्था.–2/2023/9686 **दिनांक : 27/02/2023**

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय पत्रांकः **संस्था.–2/2023/9515–9518 दिनांक** 15.02.2023 के द्वारा **"श्रम शक्ति सेवा प्रदाता एजेन्सियॉ"** से किये गये अनुबन्ध की शर्तानुसार आपकी फर्म के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सम्बधं में जारी नोटिस के तहत दिनांक 16.02.2023 को दोपहर 03.00 बजे तक पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया था। अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्मिकों का पुलिस सत्यापन नहीं कराना, 45 आयु वर्ष से अधिक के कार्मिकों के कार्य नहीं करने की सूचना तथा सभी कार्मिकों के पी0एफ0/ईएसआई कटौती/बचत को सम्बन्धित विभागों में नियमित रूप से जमा कराने की सूचना से विश्वविद्यालय को अवगत नहीं करवाकर आपके द्वारा लेख्य की गई शर्तो का खुला उल्लघन कर आपने विश्वविद्यालय को प्रदत्त सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने का दूषित कार्य कारित किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा Theory of Natural Justice के कम में सभी फर्मो को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। परन्तु आपकी फर्म/फर्मो की तरफ से विश्वविद्यालय को प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में आदिनांक तक संतोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः आपके द्वारा अनुबन्ध की शर्तो की अक्षरशः पालना नहीं करने पर भारत के विधि द्वारा स्थापित विधि अनुकूल कार्यवाही के तहत विश्वविद्यालय हित में आगामी निविदाओं में भाग लेने से आपकी फर्म/फर्मो को पूर्णतया वंचित किया जाता है।

27/2/23
(नीलिमा तक्षक)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.–2/2023/9687–96 **दिनांक : 27/02/2023**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मै0 जी.एस. एण्ड कम्पनी, विद्याधर नगर, जयपुर, मै0 रक्षक सिक्योरिटी प्राईवेट लि0, प्रताप नगर, जयपुर, मै0 ओम सिक्योरिटी सर्विसेज, जगतपुरा, जयपुर, मै0 शक्ति कोऑपरेटिव सोसायटी लि0, टोंक रोड,जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राज.वि.वि., जयपुर।
4. उप कुलसचिव (लेखा एवं वित्त/सा.. प्रशासन अनुभाग), राज.वि.वि., जयपुर।
5. निजी सचिव–कुलपति/वरिष्ठ निजी सहायक–कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।

(श्रुति शेखावत)
उप कुलसचिव (संस्था.–2)